न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/4763/2003/सीकर

1— रामपाल पुत्र सुवालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

—अपीलांट

बनाम

1— छीतर पुत्र गोविन्दराम

2— बालूराम पुत्र बलदेव मृतक जरिए वारिसान—

2/1— मदनलाल पुत्र बालूराम

2/2— गणपतलाल पुत्र बालूराम

2/3— सुरजमल पुत्र बालूराम

समस्त निवासी लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

2/4— मनभरी पुत्री बालूराम पत्नी महेश निवासी सीकर बाजार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

3— भैरूराम पुत्र सुवाराम निवासी लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

4— राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

5— उपपंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः—

श्री जी0एस0 लखावत, अधिवक्ता अपीलांट

श्री अजीत सिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1

श्री दिनेश कुमार सेन, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3

निर्णय

दिनांकः— 29.07.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा अपील संख्या 01/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.09.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वर्तमान अपीलांट/रामपाल ने रेस्पो0 के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर, श्रीमाधोपुर के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन को पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी संख्या 494, 495, 1188, 1189 कुल किता 4 कुल रकबा 4.52 है0 वाकै ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। इसमें वादी खसरा संख्या 1189 रकबा 1.47 है0 भूमि पर काबिज काश्त है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। मूल पुरूष जालाराम के तीन पुत्र बलदेव, श्योनाथ व दूलाराम हुए है। बलेदव के बालूराम, प्रतिवादी संख्या 1 दूला के मांगीलाल व मांगीलाल के सुवालाल व सुवालाल के वादी रामपाल व प्रतिवादी संख्या 2 भैरूराम हुए। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अपनी जमीन का विभाजन बाहमी तौर पर 40 वर्ष पूर्व हो गया था जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त बंटवारेनुसार वादी के हिस्से में भूमि खसरा संख्या 1189 रकबा 1.47 है0 व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में खसरा संख्या 1188 आई थी तथा इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 परिवार का बड़ा व कर्ता खानदान होने से समस्त राजस्व भूमियों को अकेले स्वयं के नाम दर्ज करवा ली। अतः वाद स्वीकार कर वादी को खसरा संख्या 1189 रकबा 1.47 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.09.1998 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर रेस्पो0 द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02.09.2003 द्वारा स्वीकार कर लिया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है ।

अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया वह वाद जिन तथ्यों व आधारों पर था वह आपसी बंटवारें के अनुसार घोषणा व खातेदारी का अनुतोष प्रदान करने बाबत् था तथा न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्रक्रिया अपनायी जाकर तत्पश्चात् उक्त वाद को स्वीकार किया गया था जिसमें की कुल 4 खसरा नंबरान की 4.52 है0 भूमि में से अपीलार्थी के हक हिस्से में तथा कब्जे काश्त में रखी गई भूमि खसरा संख्या 1189 रकबा 1.47 है0 का खातेदार घोषित किए जाने के बाबत् था तथा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के अभिवचनों तथा प्रस्तुत साक्ष्य से संतुष्ट होकर वाद डिक्री किया था। यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 विवादग्रस्त भूमि में स्वयं के अधिकार होना मानता था तो उसे पृथक से कार्यवाही करनी चाहिए थी परंतु उक्त निर्णय के विरूद्ध उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था, ना ही राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पोषणीय ही थी। अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि छीतरमल पुत्र गोविन्दराम न तो वाद संख्या 238/98 में पक्षकार था, ना ही उसके द्वारा किए गए कथन किसी प्रकार से स्वीकार योग्य थे । छीतरमल पुत्र गोविन्दराम द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाधित थी तथा मियाद बाहर अपील को मात्र अन्य प्रत्यर्थीगण द्वारा लिखित में आक्षेपित नहीं किए जाने का विवेचन अंकित कर अपील को अंदर मियाद माना गया है। जबकि जो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र छीतरमल द्वारा प्रस्तुत किया गया उसके अवलोकन से प्रथमदृष्टया ये साबित हो जाता है कि छीतरमल द्वारा प्रस्तुत धारा 5 प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं था तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.98 की जानकारी छीतरमल को निर्णय की दिनांक से थी। उसे उक्त निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान बाद में हुआ हो ऐसा उसके द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधि0 प्रार्थना पत्र से साबित नहीं होता है इस प्रकार छीतरमल द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से निरस्त किए जाने योग्य थी किन्तु अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र का अवैधानिक व विधिविरूद्ध निस्तारण किया है इस कारण उनके द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय योग्य है। अपीलीय न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील

प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.09.2003 को निरस्त किया जावें ।

5— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बहस में आगे तर्क दिया कि अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 2 व 3 से साजिश कर विचाराधीन वाद प्रस्तुत किया, जिसमें खसरा संख्या 1189 ग्राम लिसाडिया रकबा 1.47 है0 का विवाद है। अपीलांट रामपाल ने दावा कर समस्त भूमि स्वयं के नाम दर्ज करवा ली है। अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष सभी भाईयों को पक्षकार नहीं बनाया गया, केवल बालू व भैरू को पक्षकार बनाया गया था। विवादित भूमि के 1/8 हिस्से पर रेस्पो0, 1/8 हिस्से पर अपीलांट के पिता सुवालाल, 1/8 हिस्से पर अशोक वगैरह, 1/8 हिस्से पर मालीराम, रामदेव की काश्त व कब्जा है। शेष 1/2 हिस्से पर बालू काबिज काश्त है। यह भूमि पैतृक भूमि है तथा खसरा गिरदावरी में रेस्पो0 के पिता का नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना निर्णय पारित किया था जिसे निरस्त कर अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

7— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

8— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी ने सहायक कलक्टर, श्रीमाधोपुर के न्यायालय में प्रतिवादीगण/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के विरूद्ध वाद पेश कर कथन किया कि भूमि खसरा नंबर 494, 495, 1188, 1189 कुल किता 4 रकबा 4.52 है0 ग्राम लिसाडिया में स्थित है, जिसका वाद भूमि खसरा नंबर 1189 रकबा 1.47 है0 का काबिज काश्तकार है व शेष भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज काश्तकार है । वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है । वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी भूमियों का बंटवारा 40 वर्ष पूर्व ही कर लिया था जिसके अनुसार उक्त भूमि खसरा नंबर 1189 रकबा 1.47 है0 पर वादी काबिज काश्तकार है । प्रतिवादी संख्या 1 परिवार में कर्ता खानदान होने से राजस्व रिकार्ड में अंकन गलत दर्ज चला आ रहा है । अतः वाद में दर्शाये अनुसार वाद डिक्री किया जावे । विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादी

संख्या 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहे । विचारण न्यायालय ने वादी की बहस सुनकर दिनांक 28.09.1998 को पारित कर वादी का वाद डिक्री कर दिया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 छीतर ने राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के न्यायालय में मियाद बाहर अपील पेश की । अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 तथा धारा 5 मियाद अधि0 का पेश किया । अपीलीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 छीतर का कथन रहा है कि वादी रामपाल ने दावा कर समस्त भूमि स्वंय के नाम दर्ज करवा ली जबकि अधी0न्याया0 में न रिकार्ड प्रस्तुत किया ना ही साक्ष्य पेश की गई है । रेस्पो0 के पिता के जीवित रहते पैतृक भूमि में साजशी डिक्री प्राप्त की है । समस्त भाईयों को पक्षकार नहीं बनाया है । केवल बालू व भैरू को पक्षकार बनाया है । विवादित भूमि में 1/8 हिस्स पर अपीलांट/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1, 1/8 हिस्से पर वादी के पिता सुवालाल, 1/8 हिस्से पर अशोक वगैरह व 1/8 हिस्से पर मालीराम, रामदेव की काश्त व कब्जा है, शेष 1/2 हिस्से पर बालू काबिज है । यह भूमि पैतृक है इसके बावजूद अपीलांट/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 को पक्षकार नहीं बनाया है ।

9— उक्त आशय की अपील पेश होने पर अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02.09.2003 के द्वारा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.1998 को इस आधार पर निरस्त किया है कि— **"अधीनस्थ न्यायालय में बालू पुत्र बलदेव रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है । इसके अतिरिक्त पत्रावली में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल वादी के सगे भाई प्रतिवादी संख्या 2 भैरूराम की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जो विवादित भूमि में राजस्व रिकार्ड में न तो खातेदार दर्ज है, ना ही गिरदावरियों में काश्तकार दर्ज है । अतः बालू की तरफ से उसे राजीनामा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । अधी0न्याया0 ने इस राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया है जो विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतां के पूर्णतया विपरीत है ।"** अपीलीय न्यायालय के इस निष्कर्ष से हम पूर्णतया सहमत है क्योंकि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 भैरूराम द्वारा राजीनामा पेश किया गया है जबकि भेरूराम राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज नहीं है ।

ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 को विवादित भूमि बाबत् किसी भी प्रकार का राजीनामा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । इसके अतिरिक्त वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष खसरा गिरदावरियां संवत् 2031 से 2033 पेश की गई जिनमें उसके पिता गोविन्दराम के नाम 1/2 हिस्से की काश्त दर्ज है । इन दस्तावेजी साक्ष्यों का भी वादी/अपीलांट द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध रूप से राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया गया है जिसे किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर रखकर रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.1998 को निरस्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रृटि प्रतीत नहीं होती है ।

10— परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2003 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य